राजेन्द्र प्रसाद राधाकिशन ब्राहम्मण निगरानी 3986/2018/हरदा/भू.रा

निवासी विच्छापुर तहसील टिमरनी जिला हरदा म.प्र.

हाल मुकाम बागली तहसील बागली जिला देवास म.प्र.

..............................याचिकाकर्ता

श्री सन्दीप दुबे अभि. द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत/
27-6-18

विरूद्ध

कैलाश पिता राधाकिशन जी जाति ब्राहम्मण

निवासी बिच्छापुर तहसील टिमरनी जिला हरदा म.प्र.

.... उत्तरवादी

याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत

याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टिमरनी के द्वारा प्रकरण कमांक 161/अ/27 वर्ष 2007–08 दिनांक 30/07/08 एवं अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी द्वारा अपील कमांक 15/अ/27 वर्ष 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15/03/18 से विपरीत प्रभावित होकर माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिसमें दिनांक 05.06.2018 को विवादित आदेश पारित किया है जिससे विपरीत प्रभावित होकर यह याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

याचिका के तथ्य

1. यह कि याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी आपस में सगे भाई होकर ग्राम बिच्छापुर में निवास करते है तथा याचिकाकर्ता वर्तमान में ग्राम बागली तहसील बागली जिला देवास में निवास करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3986/2018/हरदा/भू.रा. राजेन्द्र प्रसाद विरूद्ध कैलाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री संदीप दुबे उपस्थित । उन्हें दिनांक 30-01-2019 को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया । 3. आवेदक के द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 444/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05-06-2018 के विरूद्ध दिनांक 27-06-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 4. मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमों , अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक ने तहसीलदार टिमरनी के प्रकरण क्रमांक 161/अ-27/20007-08 के विरूद्ध लगभग 9 वर्ष के दीर्घकालीन विलम्ब से दिनांक 15-12-2017 को अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के समक्ष प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 15-03-2018 को अपील अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त की गई । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 9 वर्ष के दीर्घ कालिक विलम्ब का कोई समाधान कारक या उचित कारण नहीं दर्शाया गया और ना ही आदेश की जानकारी कब और कैसे प्राप्त हुई इसका उल्लेख म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में नहीं किया गया है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में हुए विलम्ब को समाधान कारक न मानते हुए अपील निरस्त की गई है ।अपर आयुक्त द्वारा विस्तार विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित माना गया है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में भी विलम्ब के संबंध में ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर दोनों समवर्ती निष्कर्षों में त्रुटि प्रकट होती हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (आर.के. जैन) 06.2.2019 सदस्य	